47/2017 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर दिनांक 23.05.2017
अपील प्रकरण सं0 47/2017

राहुल शारदा पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 22 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर हाल 7 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर
गौरव शारदा पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 22 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर हाल 7 बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

अपीलांट

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी सर्दुल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सी–4 शुगर मिल, श्रीगंगानगर
2. प्रेम सागर पुत्र श्री सत्य स्वामी जाति ब्राह्मण, निवासी 7 बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर
3. विशाल सागर पुत्र प्रेम सागर जाति ब्राह्मण, निवासी 7 बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर
4. रमेश कुमार पुत्र सत्य स्वामी जाति ब्राह्मण, निवासी 7 बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, भू–अभिलेख, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

आदेश

दिनांक : 26.09.2017

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हस्तगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने चक 9 जैड के मुरब्बा नम्बर 6 व 7 के मुश्तर्का कृषि भूमि चक 12.650 है. में से हिस्सेदार प्रेम सागर के हिस्से की भूमि में से 1.581 हैक्टेयर भूमि का इंतकाल बैयनामा का आधार बनाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया। पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज कर कागजात ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न कर तहसीलदार हल्का के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार, हल्का से इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्राप्त कर लिया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 सहखातेदार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अपील पारित करने व इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया और अपीलांट को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। पटवारी हल्का ने दिनांक 19.05.2017 को दर्ज किया एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित की है जिस पर दिनांक 23.05.2017 को स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हल्का को भूमि का कब्जा हस्तांरित होने की जांच करनी आवश्यक है और इस जांच में खरीददार को कौनसे मुरब्बा की कौनसे किला का कब्जा दिया गया की रिपोर्ट व हवाला दिया जाना आवश्यक था। विविध राजस्व प्रकरण संख्या 57/2016, अनवान् राहुल शारदा वगै. बनाम प्रेम सागर वगै ने अपने आदेश दिनांक 08.08.2016 से भूमि का विशेष किलाजात के हिसाब से विक्रय न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। विक्रय पत्र से भी किसी किला विशेष का कब्जा नहीं दिया गया है। ऐसी सूरत में संयुक्त भूमि में से खरीददार को संयुक्त कब्जा में से किसी किले का कब्जा न तो विक्रेता को देने का अधिकार है व क्रेता को काबिज होने का अधिकार है। भूमि का कब्जा हस्तान्तरित हुए बगैर जो इंतकाल तस्दीक किया गया है। इंतकाल संख्या 501 पर कोई स्थगन आदेश न होने का पटवारी हल्का द्वारा अंकन किया गया व इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश का हवाला भी दिया है और यही आदेश स्थगन आदेश था। रेस्पोडेंट इन्तकाल तस्दीक करवा कर वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की कोशिश में है व इस पर बैंक ऋण प्राप्त कर भूमि पर भार सृजित कर रहे है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय इंतकाल संख्या 501 निरस्त फरमाया जाने का अनुरोध किया है साथ ही 96 सीपीसी, स्थगन प्रार्थना पत्र एवं फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

47/2017 – अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A5/3

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील रेस्पोडेंट ने अपील में जवाब नहीं देकर सीधी बहस की। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि चक 9 जैड के मुरब्बा नं 6 व 7 के मुश्तर्का कृषि भूमि चक 12.650 हैक्टेयर में से हिस्सेदार प्रेमसागर–रेस्पोडेंट संख्या 02 के हिस्से की भूमि में से 1.581 हैक्टेयर भमि का इंतकाल बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1– अमरजीत कौर के नाम तस्दीक किया गया। इंतकाल को ग्राम पंचायत को सुनने का अधिकार है तथा तहसीलदार को इंतकाल तस्दीक करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपीलांट को सुने बिना इंतकाल स्वीकृत किया है, जो निरस्त करने योग्य है। **अपीलांट के अधिवक्ता ने आर एल डब्ल्यू 2006 (1) आर जे के पृष्ठ संख्या 494 से 498 पेश किये है,** जिसके अनुसार "राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन हों तो दावों के निर्णय होने तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाने चाहिये ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं हो। **"हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नजीर चस्पा नहीं होती है क्योंकि सह खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि तक ही अपने हकों का प्रयोग करते हुए ही बैचान किया है जो विधि सम्मत है।**

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 प्रेम सागर ने कुल कृषि भूमि 12.650 हैक्टेयर में अपने हिस्से की भूमि 3.162 हैक्टेयर मे से 1.581 हैक्टेयर का बेचान किया है एवं रेस्पोडेंट संख्या 01– अमरजीत कौर ने रेस्पोडेंट संख्या 02 से 1.581 हैक्टेयर भूमि को क्रय किया है। रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा अपने हिस्से की भूमि की सीमा तक का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 01 को किया है, जिसमें अपीलांट तृतीय पक्षकार है एवं इंतकाल दर्ज करते समय तृतीय पक्षकार को सुना जाना आवश्यक नहीं है एवं उक्त अपील में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश भी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जैड के अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 501 में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.08.2016 के आधार पर रेस्पोडंट संख्या 02 प्रेम सागर पुत्र सत्य स्वामी ने 3.162 है. में से रेस्पोडेंट संख्या 01 अमरजीत कौर पत्नी सर्दुल सिंह को 1.581 है. भूमि का बेचान किया है एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने नामान्तरण स्वीकार किया है। इसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.08.2016 में प्रदत्त निर्देशों का भी कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। विक्रेता रेस्पोडेंट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

47/2017

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A5/4

संख्या 02 ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमा तक और किसी विशेष किला का हवाला देकर बैचान नहीं किया है। नामान्तरकरण के अवलोकनसे भी स्पष्ट है कि ऐसी कोई भूमि विशेष दर्शाने वाली टिप्पणी भी नही है बल्कि क्रेता को मात्र सहखातेदार होने के कारण प्रविष्टि उसके द्वारा की गई है, भूमि की सीमा तक अंकित किया है, जो विधि की दृष्टि से सही है।

इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि हस्तगत अपील के नामान्तरकरण संख्या 501 ग्राम 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है इसलिए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

फलस्वरूप, अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 26.09.2017 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.))

26/9/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)